

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर

क्रमांक:प.४(ग)()नियम / डीएलबी / १५/२८३४९

दिनांक: १५/७/१७

आदेश

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107 (4) के अन्तर्गत मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत राज्य की समस्त नगरीय निकायों में बकाया गृहकर एकमुश्त जमा कराये जाने पर मूल गृहकर में 50 प्रतिशत एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है। इस छूट का लाभ दिनांक 31.12.2017 तक प्रभावी रहेगा।


(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:- प.४(ग)()नियम / डीएलबी / १५/२८३४९ - १८८१५

दिनांक:- १५/७/१७

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- प्रमुख शासन सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
- सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर समस्त, राजस्थान।
- महापौर / सभापति / अध्यक्ष / आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकाए समस्त राजस्थान।
- महालेखाकार राजस्थान जयपुर।
- निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उपनिदेशक (क्षेत्रीय) समस्त राजस्थान।
- नोडल अधिकारी मॉनेटरिंग सैल / सीएमएआर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
- जनसम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
- अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं सुदृगालय, राज० जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
- सुरक्षित पत्रावली।


(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी